



फार्म नं.- III
 फर्द अहकाम
 (नियम-26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 नागरमल शर्मा

मुकाम श्रीविजयनगर
 रेवंताराम आदि
 नम्बर.....298.....सन् 2025

केवियट प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 148क सी.पी.सी.

जी.सी.एम.एस. आईडी :2025 / 403.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
16.10.2025	<p>प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री साहिब बाघला ने केवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। केवियट से संबंधित वादपत्र/प्रार्थनापत्र/प्रकरण प्राप्त होने पर पत्रावली मूल प्रकरण के साथ पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> शकुन्तला उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर</p>	<p style="text-align: right;">26/12/25</p> <p style="text-align: center;"><u>26.12.25</u></p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर</p> <div style="text-align: right;">  </div>



26/12/25

~~प्रार्थी अधिवक्ता श्री साहिब बाघला पर पत्रावली पेश की जाये प्रार्थी अधिवक्ता प्रार्थना पत्र Not Press करते हैं प्रार्थना पत्र Not Press आया पर इसी स्तर पर जारी किया जाता है पत्रावली मूल प्रकरण के साथ पेश हो~~